

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2625]
No. 2625]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 23, 2014/पौष 2, 1936
NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 23, 2014/PAUSHA 2, 1936

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2014

का.आ. 3262(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा उक्त खंड के प्रयोजनार्थ केरल सरकार द्वारा गठित आयोग 'केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन' को उक्त आयोग को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थात:-

(क) केरल सरकार से अनुदानों और ऋणों के रूप में प्राप्त राशि;

(ख) याचिका शुल्क;

(ग) लाइसेंस शुल्क;

(घ) निवेश से अर्जित ब्याज ।

2. यह अधिसूचना वित्त वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक लागू होगी ।

3. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी कि केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन:

(क) किसी वाणिज्यिक गतिविधि में शामिल नहीं होगी;

(ख) इसकी गतिविधियां और विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्त वर्ष में अपरिवर्तित रहती है; और

(ग) यह उक्त अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (4ग) के खंड (छ) के उपबंधों के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करती है।

[अधिसूचना सं. 85/2014/फा.सं.196/09/2014-आकनि-1]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 2014

S.O. 3262(E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, “Kerala State Electricity Regulatory Commission, a Commission constituted by the Government of Kerala in respect of the following specified income arising to that Commission, namely:-

- (a) amount received in the form of grants and loans from the Government of Kerala;
 - (b) petition fees;
 - (c) licence fees;
 - (d) Interest earned from investment.
2. This notification shall be applicable for the financial years 2012-2013 to 2016-2017.
3. The notification shall be subject to the conditions that the Kerala State Electricity Regulatory Commission:-
- (a) shall not engage in any commercial activity;
 - (b) its activities and the nature of the specified income remain unchanged throughout the financial year; and
 - (c) it files return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) Section 139 of the said Act.

[Notification No. 85/2014/F.No. 196/09/2014-ITA.I]

DEEPSHIKHA SHARMA, Director